

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.11(4)नवि/बीकानेर/2023

जयपुर, दिनांक:- 10 AUG 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के सपटित धारा 2 की उप धारा (1) की बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को बीकानेर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करके सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम/चक के नाम (तहसील- बीकानेर)	
1.	BIKANER CITY	बीकानेर सिटी
2.	BICHHWAL	बीछवाल
3.	PEMASAR	पेमासर
4.	UDASAR	उदासर
5.	ANOOPSAGAR	अनोपसागर
6.	SHARAH KAJANI	शहर कजाणी
7.	RIDMALSAR PUROHITAN	रिडमलसर पुरोहितान
8.	NAINO KA BAS	नैणों का बास
9.	SHIVBARI	शिवबाडी
10.	JORBEER	जोड़बीड़
11.	BHOJANSHALA	भोजनशाला
12.	KISMIDESAK	किसमीदेसर
13.	BHINASAR	भीनासर
14.	GANGASHAHAR	गंगाशहर
15.	SUJANDESAR	सुजानदेसर
16.	KARMISAR	करमीसर
17.	SRIRAMSAR	श्रीरामसर
18.	SHARAH TELIYA	शहर तेलिया
19.	NATHUSAR	नत्थूसर
20.	RUGHNATHSAR	रुघनाथसर
21.	SHARAH NATHANIYA	शहर नथानिया
22.	CHAKGARBI	चकगर्बी
23.	PANPALSAR	पनपालसर
24.	HIMTASAR	हिमतासर
25.	RAISAR	रायसर
26.	UDAIRAMSAR	उदयरामसर
27.	NALBADI	नालबडी
28.	NAL CHHOTI	नाल छोटी
29.	BASTI CHAWARAN	बस्ती चावडान
30.	KANASAR	कानासर
31.	GARHWALA	गाढवाला
32.	RIDMALSAR SIPAHIYAN	रिडमलसर सिपाहियान

33.	SHARAH SWAROOPDESAR	शरह स्वरूपदेसर
34.	RAWATSAR KUMHARAN	रावतसर कुम्हारान
35.	SHARAH ACHARJAN	शरह अचारजान
36.	CHAK 489 RD(R)	चक 489 आर डी (आर)
37.	489 RD(L)	489 आर डी (एल)
38.	493 RD(R)	493 आर डी (आर)
39.	493 RD(L)	493 आर डी (एल)
40.	496-150 RD(R)	496-150 आर डी (आर)
41.	496 RD(L)	496 आर डी (एल)
42.	CHAK 1-2 BKM	चक 1-2 बी के एम
43.	3 BKM	3 बी के एम
44.	4 BKM	4 बी के एम
45.	5 BKM	5 बी के एम
46.	6 BKM	6 बी के एम
47.	7 BKM	7 बी के एम
48.	CHAK 1 BSM	चक 1 बी एस एम
49.	2 BSM	2 बी एस एम
50.	3 BSM	3 बी एस एम
51.	4 BSM	4 बी एस एम
52.	5 BSM	5 बी एस एम
53.	6 BSM	6 बी एस एम
54.	7 BSM	7 बी एस एम
55.	8 BSM	8 बी एस एम
56.	9 BSM	9 बी एस एम
57.	10 BSM	10 बी एस एम
58.	11 BSM	11 बी एस एम
59.	12 BSM	12 बी एस एम
60.	13 BSM	13 बी एस एम
61.	14 BSM	14 बी एस एम
62.	15 BSM	15 बी एस एम
63.	16 BSM	16 बी एस एम
64.	481-500 RD	481-500 आर डी
65.	KHARA	खारा
66.	1 JMD	1 जे एम डी
67.	2 JMD	2 जे एम डी
68.	3 JMD	3 जे एम डी
69.	4 JMD	4 जे एम डी
70.	5 JMD	5 जे एम डी
71.	HUSANGSAR	हुसंगसर
72.	1 HSM	1 एच एस एम
73.	2 HSM	2 एच एस एम
74.	3 HSM	3 एच एस एम

75.	1 NGM	1 एन जी एम
76.	2 NGM	2 एन जी एम
77.	3 NGM	3 एन जी एम
78.	486-250 RD	486-250 आर डी
79.	483-500 RD	483-500 आर डी
80.	DAIYA	डाइया
81.	NAGASAR	नगासर
82.	4 NGM	4 एन जी एम
83.	5 NGM	5 एन जी एम
84.	6 NGM	6 एन जी एम
85.	1 KHM	1 के एच एम
86.	NGRANGDESAR	नौरंगदेसर
87.	BASI SAHAJBARDARAN	बासी सहजबरदारन
88.	SHOBHASAR	शोभासर
89.	1 DMH	1 डी एम एच
90.	2 DMH	2 डी एम एच

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बीकानेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर ज्ञान, बीकानेर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, बीकानेर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 10.08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय